कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 2217 / तक / / अधि / 2006 भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर, 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :— राज्य शासन का आदेश क्रमांक 44(बी)—4—29 / 05 / 2 / पांच दिनांक 25 सितम्बर 2006.

———0———

उक्त आदेश की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि कृपया इसका पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करायें । इसके द्वारा राज्य शासन ने कृषिक प्रयोजनों के ऋणों के विरूद्ध निष्पादित बंधक, आड़मान एवं अतिरिक्त प्रभार के विलेखों पर स्टाम्प शुल्क से छूट के लिए 10 हैक्टेयर की भूमि की सीमा हटा दी है । अब 10 लाख रू. तक की सीमा के कृषिक प्रयोजन के ऋणों के विरूद्ध उक्त दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क से पूर्ण मुक्ति रहेगी तथा 10 लाख रू. से अधिक की राशि के ऋणों के विरूद्ध निष्पादित विलेखों पर 1 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क तथा 1 प्रतिशत की दर से जनपद शुल्क प्रभार्य होगा ।

यह उल्लेखनीय है कि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से सहकारी बैंकों के मामले में भी स्टाम्प शुल्क से उक्तानुसार छूट केवल कृषिक प्रयोजन के लिए ही लागू होगी, अन्य प्रयोजन के लिए दिये जाने वाले ऋणों के विरूद्ध नहीं ।

संलग्न :— *उपरोक्तानुसार.*

हस्ता / —
जिला पंजीयक,
वास्ते महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.